भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक विकास कार्यक्रम की संस्थागत सुविधा स्थापना संबंधी उप-योजना संबंधी दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि

फुटवेयर और चमड़ा उत्पाद क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्रों में से एक है और एक बड़े रोजगार प्रदाता के रूप में उभर रहा है। फुटवेयर विनिर्माण, डिजाइन, विपणन और खुदरा व्यापार क्षेत्र में दक्ष और प्रशिक्षित श्रमशक्ति की बहुत अधिक मांग है।

2. उद्देश्य

आईएलडीपी की इस उप-योजना का लक्ष्य चमड़ा उद्योग की फुटवेयर प्रौद्योगिकियों, डिजाइनरों, पर्यवेक्षकों और मैकेनिकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए फूटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई) के मौजूदा परिसरों को "सैंटर ऑफ एक्सेलेंस" में उन्नत करने और चमड़े के उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नए कौशल केंद्रों की स्थापना के माध्यम से आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। एफडीडीआई के नए कौशल केंद्रों को इस अवधि के दौरान बनाए जाने वाले मेगा लैदर, फुटवियर और सहायक क्लस्टर के साथ स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये कौशल केंद्र आत्मनिर्भर होंगें ।

3. सहायता का प्रारूप

एफडीडीआई के नए कौशल केंद्र की स्थापना और एफडीडीआई के मौजूदा परिसरों "सेटर ऑफ एक्सेलेंस" में परिवर्तित कर बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए एकमुश्त अनुदान सहायता के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग भूमि की लागत को छोड़कर अवसंरचना की स्थापना पर आने वाली लागत उपलब्ध कराएगा। इस विभाग द्वारा कोई आवर्ती लागत प्रदान नहीं की जाएगी।

4. निधि जारी करना

i) इस योजना के तहत प्रत्येक कौशल केन्द्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार तीन किस्तों में निधि जारी की जाएगी:-

पहली किस्त	भूमि हासिल करने तथा परियोजना का अनुमोदन मिलने पर परियोजना लागत का 30%
दूसरी किस्त	पिछली किस्त का उपयोग करने पर 40%
तीसरी किस्त	पिछली किस्त का उपयोग करने तथा परियोजना की संतोषजनक प्रगति के बाद 30% ।

ii) मौजूदा एफडीडीआई कैंपस के उन्नयन के लिए योजना के तहत को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार तीन किस्तों में निधि जारी की जाएगी: -

पहली किस्त	परियोजना के अनुमोदन और निर्माण के लिए अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने पर 30% ।
दूसरी किस्त	पिछली किस्त का उपयोग करने पर 40%
तीसरी किस्त	पिछली किस्त का उपयोग करने तथा परियोजना की संतोषजनक प्रगति के बाद 30% ।

5. योजना का कार्यान्वयन

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा सचिव (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) की अध्यक्षता में अधिसूचित की जाने वाली अधिकार प्राप्त समिति परियोजना मंजूरी समिति होगी। एफडीडीआई अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन हेतु औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह योजना वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली स्वायत्त संस्था, फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई), नोएडा के जरिए कार्यान्वित की जाएगी।

एफडीडीआई के नए कौशल केंद्रों की स्थापना की लागत और मौजूदा बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन की परियोजना लागत और उन्हें "सेटर ऑफ एक्सेलेंस" में परिवर्तित करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्कीम के अनुमोदन के बाद कार्यान्वयन एजेंसी कोनिधि जारी की जाएगी

एफडीडीआई निर्माण कार्य/ उन्नयन संबंधी निविदा देने, मूल्यांकन करने और पर्यवेक्षण करने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उपयुक्त तकनीकी परामर्शदाता को नियुक्त करेगा। एफडीडीआई योजना की प्रगति की रिपोर्ट तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा। इस विभाग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली संचालन समिति योजना की प्रगति की निगरानी करेगी।

जहां भी संभव हो, वहां प्रशिक्षण में निजी निवेश लाने के लिए एफडीडीआई एक पीपीपी सहयोग ढांचे को लगाएगा।

एफडीडीआई द्वारा भारत सरकार की अन्य योजनाओं अटल अभिनव मिशन (इनक्यूबेटर के लिए), प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एमएचआरडी और एमएसडीई योजनाएं, डिज़ाइन क्लिनिक स्कीम (एमएसएमई / एनआईडी) आदि, की तरह योजनाएं बनाई जा सकती हैं।

*****